

भाग-द

परिशिष्ट-6
(प्रपत्र 'ब') पृष्ठ 4/4)**इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद****विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र :**

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा आराजी संख्या-740 ग्राम-अन्दावॉ, परगना-झूँसी, तहसील-फूलपुर, जिला इलाहाबाद पर निर्मित रीटेल आउट-लेट पर दिये गये उपरोक्त प्रमाण-पत्र का परीक्षण प्राधिकरण के अपर अभियन्ता श्री गौरी शंकर, सहायक अभियन्ता श्री आरओडीए राय तथा मुख्य नगर नियोजक श्री पीओकेओ सौलंकी द्वारा कर लिया गया है। स्थल पर निर्माण एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत रीटेल आउट-लेट मानचित्र परमिट संख्या-164/प्र0अ0-मवन/जोन-5/शमन/2013-14 दिनांक 22.04.2011 के अनुरूप रही पाया गया है। मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, इलाहाबाद, कंपनी के इन्जीनियर द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों को संज्ञान में लेते हुए उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदन आदेश दिनांक 07.08.2014 के क्रम में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क (2) के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। स्वीकृत मानचित्र में आरोपित किसी भी शर्त का अनुपालन न करने अथवा संशोधन करने की दशा में दी गयी अनुज्ञा स्वतः समाप्त मानी जायेगी। मुख्य अग्नि शमन अधिकारी की अनापत्ति पत्र सं0-2013/इला0/181/सि0ला0/85 दिनांक 29.08.2014 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।

अभिलेख जो संज्ञान में लिये गये :-

1. C.F.O. इलाहाबाद की अनापत्ति
40सं0-2013/इला0/181/सि0ला0/85
दिनांक 29.06.2014
2. इन्जीनियर का प्रमाण-पत्र

हस्ताक्षर 
30/08/2014पदनाम : जोनल अधिकारी/
प्र0अ0(रा0सि0-2) प्रभारी अधिकारी-2
कार्यालय की मुहर सार्वजनिक समिति
दिनांक : 30 अगस्त, 2014पत्रांक :- 04/C.C / प्र0अ0-मवन/2014-15
दिनांक : 30/08/2014

